

यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर 33 लाख की ठगी

आरोपियों ने युवक से पैसे ले लिए और विदेश भेज दिया , लेकिन वहां पर बताई गई नाम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली

श्रीगंगानगर, (निसं)। यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक से पैसे ले लिए और विदेश भेज दिया। लेकिन वहां पर उसे बताई गई नाम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली। आरोपी अब पैसे लौटाने से मना कर रहे हैं। मामला श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

पुलिस को दी रिपोर्ट में राजकुमार (45) निवासी साधुवाली (श्रीगंगानगर) में बताया कि उसका बेटा सागर 12वीं पास कर यूके में पढ़ाई करना चाहता था। मई 2025 में शिकायतकर्ता व उसके बेटे की जान-पहचान साधुवाली के अनुराग

नाम के शख्स से हुई। अनुराग ने 22 लाख में स्टडी वीजा और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का झांसा दिया। जब राजकुमार ने पैसे नहीं होने की बात कही तो अनुराग ने उसे स्टडी लोन दिलवाने की बात कही। जिसके बाद आरोपियों ने राजकुमार के बेटे का स्टडी लोन अयुव करवा दिया। कुछ दिनों बाद युवक के अकाउंट में 33.87 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। इसके बाद ठगों ने बाप-बेटे की चेकबुक, एटीएम कार्ड और पासवर्ड व खाली स्टाम्प अपने पास रख लिए। 24 से 28 जुलाई 2025 के बीच आरोपी अनुराग, नवल और साहिल ने युवक के अकाउंट से अलग-अलग बैंक अकाउंट में 33 लाख से ज्यादा

रुपए ट्रांसफर कर लिए। जिसके बाद आरोपियों ने परिवार को बताया गया कि ब्रिस्टल (यूके) की यूनिवर्सिटी में सागर का एडमिशन हो गया। सागर की फीस जमा हो गई और वीजा आ गया।

तीन अगस्त को सागर को दिल्ली से यूके भेज दिया गया। ब्रिस्टल पहुंचते ही सागर को पता चला कि जिस यूनिवर्सिटी का पता अनुराग ने दिया था, वहां ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। जिसके बाद सागर ने पिता को फोन किया। राजकुमार जब अनुराग के इमीग्रेशन ऑफिस पहुंचे तो ठगों ने कहा कि उन्होंने ठगी की है और पहले भी ऐसे कई केस उनके खिलाफ हैं। आरोपियों ने चेकबुक-एटीएम कार्ड लौटाने से भी मना कर दिया। फिलहाल

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह कर रहे हैं।

सूने मकान के ताले तोड़कर लाखों की चोरी
:- श्रीगंगानगर में सूने मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात व कैश चोरी करने का मामला सामने आया है। मकान मालिक अपने परिवार के साथ खाटूश्यामजी के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। इस दौरान चोरों ने मकान में धावा बोल दिया और चोरी कर भाग गए। घटना श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। पुलिस को दी रिपोर्ट में मकान मालिक मालिक महेश चंद (47) निवासी कृपाल नगर, सेतिया कॉलोनी (श्रीगंगानगर) ने

बताया कि वह अपने परिवार के साथ खाटूश्यामजी (सीकर) के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। इस दौरान पीछे से उनके बंद पड़े मकान में चोरी हो गई। चोर मकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात और अलमारी में रखे पांच लाख कैश चोरी कर भाग गए। वह जब (मकान मालिक और परिवार) अपने घर वापस लौटे तो देखा कि मकान में टूटे हुए ताले लटके रहे थे और मकान में चोरी हो चुकी थी। अंदर सामान बिखरा हुआ था। जिसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को रिपोर्ट दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका-सुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सिलेंडर फटने की घटना के बाद हुआ अवैध गैस कारोबार का पर्दाफाश

बीकानेर, (निसं)। करणी औद्योगिक क्षेत्र में हुए सिलेंडर विस्फोट के बाद शुरू हुई जांच ने शहर में लंबे समय से चल रहे अवैध गैस कारोबार को बेनकाब कर दिया है। हादसे के अगले ही दिन जिले में रसद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। यह पूरी कार्रवाई न केवल विस्फोट की वजह तलाशने के लिए की गई, बल्कि इसने यह भी उजागर कर दिया कि औद्योगिक क्षेत्र की दुकानों में किस प्रकार बड़े पैमाने पर अवैध रूप से घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेंडर जमा किए जा रहे थे।

फापर ब्रिगेड टीम को मिली शुरुआती सूचना मामूली नहीं थी। इसी सूचना के आधार पर जब प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची, तो एक नहीं बल्कि दो दुकानों में भारी संख्या में सिलेंडरों का जखीरा मिला। पुलिस की मौजूदगी में

■ अवैध गैस कारोबार की पुलिस और रसद विभाग को जानकारी तक नहीं थी

ताले तोड़कर जब दुकानों खोली गईं, तो भीतर का दृश्य चौंकाने वाला था। घरेलू और कमर्शियल, दोनों प्रकार के कुल 108 अवैध सिलेंडर भरे पड़े थे, जिन्हें तुरंत जब्त कर सुरक्षित गोदाम में रखा गया। इस कार्रवाई के बाद अग्रे पूरा मामला गैस एजेंसियों से लेकर सप्लाई चेन तक कई सवालों के घेरे में आ गया है। पुलिस और विभाग की टीमों विस्फोट की असली वजह और सिलेंडरों की सप्लाई की कड़ियों का विश्लेषण कर रही हैं। इतने सिलेंडर एक दुकान तक कैसे पहुंचे यह सवाल बड़ा है, जब गैस

कंपनियां ई-केवाईसी, आधार-लिंक उपभोक्ता सत्यापन और रिफिल मॉनिटरिंग सिस्टम चला रही हैं, तब सैकड़ों सिलेंडर एक साथ एक दुकान में कैसे पहुंच जाते हैं?

रसद विभाग के सूत्र बताते हैं कि बड़ी मात्रा में सिलेंडर इकट्ठा होना तभी संभव है जब, गैस एजेंसियों से गलत डिलीवरी की मिलीभगत हो, डोमेस्टिक सिलेंडरों का कमर्शियल उपयोग हो, कई फर्जी-दोहराए गए उपभोक्ता आईडी का इस्तेमाल हो या फिर यह सब स्थानीय स्तर पर अथैव रीफिलिंग के लिए किया जाए। मुद्दा यह भी उठता है कि क्या रसद विभाग हर कार्रवाई के बाद संबंधित गैस एजेंसियों की बुकिंग-डिलीवरी पैटर्न की जांच करता है क्योंकि जब तक सप्लाई चेन में संच का पता नहीं लगेगा, दुकानों पर छापे केवल बाहरी परतें ही हटाएंगे, जड़ नहीं।

22 को गंगा प्रवाह यात्रा अलवर आएगी

अलवर, (निसं)। भाजपा जिला कार्यालय अलवर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया प्रेस वार्ता को प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र कुमार गोठवाल ने संबोधित किया। जितेंद्र कुमार गोठवाल ने बताया कि अखंडता एवं एकता के प्रतिक सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन, उनके योगदानों एवम राष्ट्र निर्माण में उनके ऐतिहासिक भूमिका की जन-जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ सरदार पटेल 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान में गंगा प्रवाह व यमुना प्रवाह यात्रा निकलेगी। आगामी 22 नवंबर को दिल्ली से चलकर गंगा प्रवाह यात्रा अलवर आएगी। इस यात्रा में युवा मोर्चा के 320 कार्यकर्ताओं का दल अलवर आएगा। अलवर में यात्रा के प्रवेश पर राजस्थानी संस्कृति व परंपरा अनुरूप भव्य स्वागत होगा।

गेहूं से भरा ट्रक सड़क में धंसा

भीलवाड़ा, (निसं)। नगर निगम की ओर से सीवरेज का कितना घटिया स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसकी बानगी बुधवार को देखने को मिली। पुलिस लाइन क्षेत्र में एक ट्रक गेहूं से भरकर जा रहा था। तभी सपाट सड़क में धंस गया। एक बारगी तो ट्रक ड्राइवर भी हैरान रह गया। वह नीचे उतर दूसरे लोगों से मदद की गुहार लगाई। लेकिन

■ लोगों ने आरोप ने लगाया कि सीवरेज का निर्माण कार्य घटिया स्तर का किया जा रहा है

जब ट्रक की हालत देखी तो क्रेन ही बुलानी पड़ी। पहले पिकअप में गेहूं की बोर्ियां खाली कराई गईं, बाद में क्रेन की मदद से निकाला जा सका।

लोगों ने आरोप ने लगाया कि पटरी पार सीवरेज का निर्माण कार्य

नापासर में इंडस्ट्रियल ऑयल फैक्टरी की जांच पूरी

■ फैक्टरी में इंडस्ट्रीयल ऑयल को बाँयोडीजल बताकर बेचे जाने के मामले में रसद विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ

■ जांच में सामने आया है कि परिसर में भूमिगत टैंकों से लेकर प्लास्टिक टंकियों तक में करीब 3 लाख 14 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था

■ जांच के दौरान फर्म न तो वैध एंड कर सकी और न ही उत्पाद के भंडारण, परिवहन या बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड

यूज प्रमाणपत्र पेश कर सकी और न ही उत्पाद के भंडारण, परिवहन या बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड। सुरक्षा मानकों की स्थिति भी बेहद खराब मिली। अग्रिशमन उपकरण गायब, स्टोरेज अनियमित और टैंकों का रिकॉर्ड भी संदिग्ध था। जांच टीम ने मौके से सैंपल लेकर उन्हें फॉरेंसिक परीक्षण हेतु भेजा है और रिपोर्ट आने तक फैक्टरी के संचालन पर पूर्ण रोक बरकरार रहेगी।

गौरतलब है कि कृषि मंत्री डॉ.

किरोड़ीलाल मोीणा ने इस फैक्टरी पर

छापा मारकर गोरखधंधे का खुलासा किया था। जांच से पता चलता है कि यह कोई एक-दो टैंकर का खेल नहीं था। 3 लाख लीटर से अधिक स्टॉक का मतलब है कि सप्लाई चेन बेहद विस्तृत है। छोटे वानहों में लोडिंग यानी बाजार में अवैध तरीके से यह इंडस्ट्रीयल ऑयल बाँयोडीजल के नाम पर बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा था। मंत्रों के छोपे के बाद भी किसी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई न होना इस नेटवर्क की सुरक्षा छतरी की ओर इशारा करता है।

जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मोीणा ने 6 नवंबर की रात भारत माला रोड पर एक युवक को एक गाड़ी में संदिग्ध बाँयोडीजल भरते देखा। इसके बाद मंत्री मोीणा उस युवक सहित नापासर स्थित कनकश्री फैक्टरी पहुंचे। मौके पर चालक ने कहा हम पुलिस को बंधी देते हैं, हमारा कुछ नहीं होता। मंत्री मौके पर पहुंचे तो वहां छोटी गाड़ियों में फ्यूल भराई जारी मिली। उसी रात फैक्टरी सील, फिर रसद विभाग ने विस्तृत जांच शुरू की।

रिश्वत मामले में तीन एमईएस अफसरों को सजा सुनाई

सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुए तीन बड़े मामलों में फैसला सुनाया

श्रीगंगानगर, (निसं)। जोधपुर की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने श्रीगंगानगर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुए तीन बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में सनसनीखेज फैसला सुनाया। रिश्वत मामले में तीन एमईएस अफसरों को सजा सुनाई।

ठेकेदार दीपक अनेजा की शिकायत पर 12 अप्रैल 2016 को सीबीआई ने रिश्वत देते तीन अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। साढ़े नौ साल बाद आए इस फैसले में कोर्ट ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार अब देश की रीढ़ तोड़ रहा है। इस केस के करीब साढ़े नौ साल बाद 18 नवंबर को सुनाए गए फैसले में अकाउंट्स ऑफिसर हरिसिंह नागले और अनिल बेदगिरी को दोषी करार देते हुए 4-4 साल की सजा सुनाई गई, जबकि राधेश्याम सोनी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की

धारा 7 में 3 साल की सजा सुनाई। वहीं, यूडीसी हेतराम और एन.एन. मोहंती को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। तीनों मामलों में सीबीआई की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक भगवानसिंह भंवरिया ने पैरवी की, जबकि अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट जे.के. चांडा व अन्य ने पैरवी की।

न्यायालय ने अपने फैसले में भ्रष्टाचार के गंभीर प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार एक विशाल समस्या बन गई है और यह सर्वत्र फैल गई है। किसी भी सार्वजनिक गतिविधि का कोई क्षेत्र भ्रष्टाचार की दुर्गंध से अप्रभावित नहीं रहा है। इसका गहरा और व्यापक प्रभाव पूरे देश के कामकाज पर पड़ता है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों में बाधा डालता है और सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

भरतपुर में आवासहीनों ने किया प्रदर्शन



आवासहीनों ने नगर निगम भरतपुर के गेट पर प्रदर्शन किया।

भरतपुर, (निसं)। आवासहीनों को आवास या जमीन दिलाये जाने के सिलसिले में आवासहीन जन संघर्ष समिति भरतपुर-राजस्थान के बैनर तले नगर निगम भरतपुर के गेट पर लगभग 300 महिलाओं व पुरुषों ने घरना देकर नारे लगाये। इसके बाद लगभग बीसियों प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को ज्ञापन देते समय स्पष्ट तौर से चेतावनी दी कि यदि अखिलम्ब हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो नगर निगम पर लगातार और सहपरिवार पड़ाव डाला जायेगा और आन्दोलन को निरन्तर तेज किया जायेगा, जिसकी सारी जवाबदेही

निगम प्रशासन की होगी। इस मौके पर कामरेड नथूलाल ने कहा कि सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना होते हुए भी गरीब आवासहीनों को इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में संघर्ष करना पड़ रहा है। इस घरना आन्दोलन का नेतृत्व कामरेड नथूलाल, यादराम प्रजापत अध्यक्ष, कलुआ खान महासचिव, अशोक कपूर, रम्यो सिंह हवलदार, अशोक कुमार जघीना, डॉ. नवलिका, एड. रूचि गर्ग, सुमन योगी, ओमपती, सुनीता, रगुड़ी, पूनम, उमेश नायक आदि ने किया।

राजस्थान हाईकोर्ट : सर्विस बुक की अनुपलब्धता पेंशन में बाधक नहीं

■ सफाईकर्मों के पद पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली में कार्यरत कर्मचारी की रिट याचिका स्वीकार

इस पर उसने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक विधिक नोटिस प्रेषित किया। विधिक नोटिस के जवाब में विभाग 01 मार्च 2019 को पत्र द्वारा उसे यह सूचित किया गया कि उसकी सर्विस बुक उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे पेंशन व पेंशन संबंधी लाभ प्रदान नहीं किये जा सके।

विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर रमेश ने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के अधिवक्ता का आरो है कि कथन था कि राजस्थान कर्मचारी पेंशन व पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करना नियोक्ता का दायित्व है अन्यथा कर्मचारी 9 प्रतिशत पेंशन पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिवक्ता का आरो है यह भी कथन था कि वर्तमान वाद में प्रार्थी वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त हुआ व उसे आज तक

संधारण उसके नियोक्ता द्वारा किया जाता है जो, उसके कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करता है ना कि कर्मचारी द्वारा। प्रार्थी की सर्विस बुक उपलब्ध ना होना में गलती कर्मचारी की ना होकर नियोक्ता की है। नियोक्ता ही सर्विस बुक का संधारण करता है व समय-समय पर उसमें प्रविष्टिया भी अंकित करता है। सर्विस बुक की अनुपलब्धता के कारण कार्मिक की पेंशन रोकना सर्वथा अनुचित है।

प्रार्थी के अधिवक्ता का आरो है यह पेंशन व पेंशन संबंधी लाभ प्रदान पेंशन नियम का नियम 89 यह कहता है कि किसी भी कर्मचारी के सेवानिवृति से दो माह के भीतर उसे पेंशन व पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करना नियोक्ता का दायित्व है अन्यथा कर्मचारी 9 प्रतिशत पेंशन पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिवक्ता का आरो है यह भी कथन था कि वर्तमान वाद में प्रार्थी वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त हुआ व उसे आज तक

पेंशन व पेंशन संबंधी लाभ प्रदान नहीं किये गये। विभाग द्वारा उसे वैकल्पिक पेंशन प्रदान कर इतिश्री कर ली गयी जो अनुचित व विधि विरुद्ध है।

राज्य सरकार की ओर से जवाब में यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी की सर्विस बुक उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे सेवानिवृत्त परिलाभ प्रदान नहीं किया गये। प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने प्रार्थी रमेश की द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी कि सर्विस बुक भी अनुपलब्धता कार्मिक की पेंशन देने में बाधक नहीं हो सकता। प्रार्थी को पेंशन नियम के तहत उसे दो माह में पेंशन प्रदान भी जाये और दो माह में प्रदान नहीं करने पर राजस्थान पेंशन विभाग के नियम 89 के तहत उसे 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। यह दिन से लेकर जब पेंशन प्रदान की जाती है तब तक का प्रदान किया जावे।

छात्र से मारपीट मामले में एनएसयूआई का प्रदर्शन

कारोबारी के नाबालिग बेटे के साथ मारपीट और गालत हरकत का मामला

अजमेर,(निसं)। कारोबारी के नाबालिग बेटे के साथ मारपीट और अश्लील हरकत के मामले ने बुधवार को नया मोड़ ले लिया। मामले में पुलिस कार्रवाई धीमी होने और स्कूल प्रबंधन द्वारा शिकायत के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई न करने के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मयूर स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता स्कूल गेट पर चढ़कर अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का-मुक्की और झड़प तक हो गई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पूतला जलाकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने अतिरिक्त जापा बुलाकर माहौल शांत कराया।

प्रदेश काँग्रेस कमेट्री के सचिव सुनील लारा के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ता स्कूल के मुख्यद्वार पर पहुंचे। उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ

नारेबाजी की। एनएसयूआई के प्रदर्शन को देखते हुए अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लारा ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने प्रभावी कार्यवाही नहीं की। स्कूल प्राचार्य संजय खाती मामले को दबाते नजर आए। उन्होंने प्राचार्य को हटाए जाने की मांग करते हुए उनका पुतला फूँका। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई।

पीड़ित छात्र के पिता और चाचा दोनों ने पुलिस से अलग-अलग शिकायत दर्ज करवाई हैं। दोनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि स्कूल के 3-4 छात्रों ने उनके नाबालिग पुत्र को रास्ते में रोककर बेसबॉल के डंडे से पीटाई कर उसके कपड़े उतराए, उठक-बैठक लगावई और अश्लील हरकत की। मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि दोषी छात्र

लगातार धमकियां दे रहे हैं कि हीरोपंती निकाल देंगे। चाचा ने बताया कि भतीजा कई दिनों से डिप्रेशन में था और डर के कारण कुछ नहीं बता पा रहा था। प्रदर्शन के दौरान पी.सी.सी. सचिव डॉ. सुनील लारा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष पवन ओड, दुर्विका सिसोदिया, हिमेश गोयर, नितिन चौधरी, रोहन बैरवा, ठाकुर चारू, हर्षित लोट, अनमोल चारू, मोहित खन्ना, राजवीर गुर्जर, जितेश मोहनपुरिया, अमित छबरीबंद, विशाल गोयर, अभिषेक, रियान सहित काफी संख्या में एन.एस.यू.आई छात्र मौजूद रहे।

सिविल लाईंस थाना प्रभारी शंभु सिंह ने बताया कि चाचा की शिकायत पर 3 छात्रों पर पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं अलवर गेट थाना प्रभारी नरेंद्र जाखड़ ने कहा कि पिता की शिकायत पर 4 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में अनुसंधान जारी है।